न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562, राज्य।

बनाम

मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलक्स निबंधन संख्या–BR-34L-8334

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या– **442/2020–21**,

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलक्स निबंधन संख्या–BR-34L-8334 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 1772/हि0शा0 एवं दिनांक–01.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव सोनवर्षाराज (काशनगर ओ0पी0) थाना कांड संख्या– 48/2020, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलक्स निबंधन संख्या–BR-34L-8334 के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–भस्ती स्थित शिव मंदिर, थाना–सोनवर्षाराज (काशनगर ओ0पी0), घटना की तिथि– 23.03.2020 के साथ वर्णित है कि– ''कांड का सारांश यह है कि दिनांक–23.03.2020 को गुप्त सूचना के आधार पर समय 08:30 बजे मोटर साईकिल नं0 BR-34L-8334 एच0एफ0 डीलक्स मोटर साईकिल पर एक व्यक्ति देशी महुआ शराब लेकर माली चौक की ओर जाने वाला है। उक्त सूचना के आधार पर वादी पु0अ0नि0 मो0 असलम खाँ सशस्त्र बल के सहयोग से समय 09:15 बजे भस्ती स्थित शिव मंदिर के पास पक्की सड़क पर मोटर साईकिल पर रखे दो गैलन में करीब 16 लीटर देशी महुआ शराब के साथ ले जाते समय (1) अजीत कुमार पे0 नरेश यादव सा0 पीरनगर थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया को गिरफ्तार किये। बरामद देशी महुआ शराब मात्रा 16 लीटर एवं बरामद मोटर साईकिल का विधिवत दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष जप्ती सूची बनाकर जप्त किया तथा पकड़ाये व्यक्ति अजीत कुमार को दिनांक–23.03.2020 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उक्त बरामद/जप्त देशी महुआ शराब 16(सोलह) लीटर को	

माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय II के न्यायालय में दिनांक–23.03.2020 को प्रस्तुत किया गया तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कुल 16 लीटर में से 01 लीटर जांच हेतु उत्पाद अधीक्षक समहरसा के कार्यालय में दिनांक 24.03.20 को प्राप्त कराया गया तथा शेष बचे देशी महुआ शराब को मात्रा 15 (पन्द्रह) ली0 को सुरक्षार्थ थाना मालखाना में रखा गया है। जिसक विनिष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल का अधिग्रहण कराना काण्ड में आवश्यक है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि बरामद देशी महुआ शराब 15 लीटर की विनष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल BR-34L-8334 एच0एफ0 डीलक्स को अधिग्रहण करने की कृपा की जाय।''

प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलक्स निबंधन संख्या–BR-34L-8334 के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलक्स निबंधन संख्या–BR-34L-8334 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक प्रेमरंजन कुमार, पिता– उमेश प्रसाद यादव, साकिन–पीरनगरा वार्ड नं0– 06, थाना– बेलदौर, जिला– खगड़िया द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी का कहना है कि वे जप्त मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलक्स निबंधन संख्या– BR-34L-8334 का गाड़ी मालिक हैं। उक्त वाहन से किसी प्रकार का अवैध शराब बरामद नहीं हुआ है एवं गाड़ी बेवजह थाना में बर्वाद हो रहा है। इनका आगे कहना है कि गाड़ी को ग्रामीण आवश्यक कार्य कहकर ले गया था। ये निर्दोष व्यक्ति हैं। इनका यह भी कहना है कि गाड़ी मुक्त होने के पश्चात् जब जहाँ उपस्थापित करने के लिए कहा जायेगा ये गाड़ी उपस्थापित करेंगे और गाड़ी मुक्ति के पश्चात किसी के हाथ में न तो बेचा जायेगा या किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जायेगा। इनके ओर से मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के साथ गाड़ी को अपने पक्ष में मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, पुलिस अधीक्षक सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार

	मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलक्स निबंधन संख्या–BR-34L-8334 को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया। वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। चूँकि जप्त वाहन का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में इस वाहन को अधिहरण करना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। वाहन मालिक द्वारा कोई भी जिम्मेनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सावित हो कि उनका वाहन अभियुक्तो द्वारा मांगा गया हो। अतः इस वाहन का अधिहरण न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में उक्त जप्त वाहन मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलक्स निबंधन संख्या–BR-34L-8334 को अधिहरण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें। इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धिकृत Kohl 22/12/2020 समाहर्त्ता सहरसा। Kohl 22/12/2020 समाहर्त्ता सहरसा।	

ज्ञापांक 1060...... /न्याया०, सहरसा, दिनांक -23/12/20....

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेपित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

23.12.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

23/12/20